चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते

हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री गजबये आलम व उनकी टीम द्वारा बलात्कार, गाली गलौच,मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.05.2026 को एक वादिया द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी गयी कि अभियुक्त रिंकू वर्मा पुत्र भजराज निवासी छिपनी बाहरखेडा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा पीडिता का गला मरोडना,गाली गलौच करना एवं जान से मारने की धमकी देते हुये बलात्कार करना। सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0स0 263/26 धारा 64(1),115(2), 351(3),352 बीएनएस बनाम रिंकू उपरोक्त पंजीकृत किया गया। आज दिनाँक 13.05.2026 को उ0नि0 श्री गजबये आलम व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रिंकू वर्मा उपरोक्त को बन्धोइन मोड सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री गजबये आलम

2.आरक्षी विवेक राजा

3.रि0आ0 आदित्य कुमार

(3)पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों को 72 पाउच अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 योगेन्द्र बहादुर मय हमराह मुख्य आरक्षी सौरभ कुमार,आरक्षी दीपक सिंह थाना पहाडी द्वारा अभियुक्त बीरेन्द्र सिहं पुत्र कुबेर सिंह निवासी प्रसिद्धपुर थाना पहाडी जनपद चित्रकूट को 20 पाउच अवैध देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध पहाडी मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह मय हमराह मुख्य आरक्षी ज्ञान स्वरुप मिश्रा,आरक्षी सचिन कुमार थाना पहाडी द्वारा अभियुक्त उदयवीर उर्फ अमरजीत यादव पुत्र धर्मराज यादव निवासी बारामाफी थाना पहाडी

जनपद चित्रकूट को 22 पाउच अवैध देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना पहाडी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(iii). उ0नि0 श्री करन सिंह मय हमराह आरक्षी आकाश सेन,आरक्षी शुभम शर्मा थाना रैपुरा द्वारा अभियुक्त अजीत पुत्र लक्ष्मीकांत त्रिपाठी निवासी करौदीकलां थाना रैपुरा को एक प्लास्टिक की बोरी में 30 अदद देशी क्वार्टर शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाडी श्री निशिकान्त राय एवं पैरोकार आरक्षी अबरार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0 श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 13.05.2026 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 36/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त जनार्दन प्रसाद पुत्र बद्रीप्रसाद निवासी कस्बा व थाना पहाडी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2620/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
(5).आज दिनाँक 13.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकांत राय द्वारा थाना बहिलपुरवा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, महिला हेल्पडेस्क,साइबर हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, मालखाना व हवालात का निरीक्षण कर प्रभारी बहिलपुरवाको रजिस्टरों के अध्यावधिक करने,जनसुनवाई में त्वरित कार्यवाही,विवेचना,वारण्टी/वांछित आदि की गिरफ्तारी एवं साफ सफाई,बिजली,पानी, शौचालय आदि को ठीक कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

(6).पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पीयूषकांत राय एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में एसओजी एवं थाना मारकुण्डी की संयुक्त टीम द्वारा लगभग 12 वर्ष से फरार चल रहे 10,000/- रुपये के इनामी अपराधी बैजनाथ यादव उर्फ बाबा पुत्र राजकुमार यादव निवासी जमुनिहाई थाना मारकण्डी को गिरफ्तार किया जो कि मु0अ0सं0 12/14 धारा 363,366 आईपीसी एवं 3(1)10 एससी एसटी एक्ट थाना मारकुण्डी में वारंटी अभियुक्त था। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त बैजनाथ उर्फ बाबा उपरोक्त

उक्त मुकदमा में काफी दिनों से फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा 10,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी करने वाली एसओजी टीमः-

1. प्रभारी एसओजी/सर्विलांस निरीक्षक श्री एम.पी. त्रिपाठी

2.हे0का0 नितेश समाधिया

3.आरक्षी रोशन सिंह

4. आरक्षी गोलू भार्गव

5.आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा

गिरफ्तारी करने वाली मारकुण्डी पुलिस टीमः-

1.थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री दीपक कुमार

2.उ0नि0 श्री दशरथ सिंह

3.उ0नि0 श्री रुपनारायण सिंह

4.आरक्षी अतुल मिश्रा

5.आरक्षी अमित तिवारी

(7).आज दिनाँक 13.05.2026 को क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल द्वारा थाना सरधुवा के समस्त विवेचकों का अर्दली रुम निम्न बिन्दुओं पर किया गया।

1.लंबित विवेचनाएं व अहकामात। 2.E–साक्ष्य ऐप से अधिकाधिक SID जेनरेट कर FIR से लिंक करना। 3.E–summon का समयबद्ध तामीला। 4.E–challan की समुचित कार्यवाही। 5.IGRS/प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण। 6.प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही। 7.चोरी, नकबजनी, टप्पेबाजी की घटनाओं का सफल अनावरण व प्रभावी रोकथाम। 8.महिला/दलित उत्पीड़न संबंधी अपराधों में प्रभावी व समयबद्ध कार्यवाही। 9.CS/FR का माननीय न्यायालय में दाखिला के संबंध में। 10.फरियादियों के साथ मृदुल व्यवहार,उनकी समस्या को सुनने के लिए पर्याप्त समय देना तथा तदनुरूप आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाकर समस्या का समुचित निस्तारण करना आदि एवं उच्चाअधिकारियों के आदेश निर्देश से भी अवगत कराया गया एवं रिक्रूट आरक्षियो के रजिस्टरों को चेक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

अर्दली रुम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री शिवआसरे एवं अन्य विवेचकगण उपस्थित रहे।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन

में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकान्त राय एवं पैरोकार आरक्षी आकाश तथा प्रभारी मॉनिटिरिंग सेल प्रभारी श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चित्रकूट श्री तेजप्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती रेनु मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 13.05.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं द्वारा थाना पहाडी में पंजीकृत मु0अ0सं0 03/21 धारा 376(एबी),504,506 आईपीसी, 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त छितानी पुत्र बैजनाथ मिश्रा निवासी अशोह थाना पहाडी जनपद चित्रकूट 20 वर्ष के कठोर कारावास और 21000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनांक 07.01.2021 को थाना पहाड़ी अन्तर्गत निवासी एक वादी द्वारा पहाडी पर सूचना दी कि अभियुक्त छितानी उपरोक्त द्वारा उनकी 08 वर्षीय नाबालिक पुत्री को घर के अन्दर ले जाकर अश्लील हरकत एवं उलाहना देने पर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना करना सूचना पर थाना पहाडी में मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 03/21 धारा 376(एबी),504,506 आईपीसी, 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री रामप्रकाश द्वारा सम्पादित की गयी। दिनाँक 08.01.2021 में अभियुक्त की गिरफ्तारी कर दिनाँक 14.03.2021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(9). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय चलाये जा रहे मादक पदार्थों का विनष्टीकरण/निस्तारण "ऑपरेशन दहन" के क्रम में माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम व सी0डी0/FTC जनपद चित्रकूट के आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकान्त राय के पर्यवेक्षण में श्री यामीन अहमद क्षेत्राधिकारी महोदय नगर कर्वी चित्रकूट व सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू व जिला आबकारी अधिकारी श्री अखिलेन्द्र बहादुर सिंह , आबकारी निरीक्षक श्री प्रणव कुमार पाण्डेय व फौजदारी लिपिक रविप्रकाश श्रीवास्तव तथा उपेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट व हे0मु0 भूरालाल थाना भरतकूप जपनद चित्रकूट की उपस्थिति मे आबकारी अधिनियिम के कुल 41 अपराधो के मालों का विनष्टीकरण किया गया।